



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ०३ २९ पौष १९४३ (श०)
पटना, बुधवार, —————
१९ जनवरी २०२२ (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
	पृष्ठ	
भाग-१-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	२-६	
भाग-१-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-१-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-१-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-२-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-३-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-४-बिहार अधिनियम	---	
भाग-५-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-७-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-८-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-९-विज्ञापन	---	
भाग-९-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-९-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	७-७	
पुरक	---	
पुरक-क	---	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

7 जनवरी 2022

सं० ग्रा०वि०-14 (द०)सम०-09/2018-698815--अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, पटोरी के ज्ञापांक-1134 दिनांक-22.10.2018 व ज्ञापांक-1133 दिनांक-22.10.2018 व ज्ञापांक-1139 दिनांक-22.10.2018 से प्राप्त पत्र में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटोरी द्वारा लोक शिकायत निवारण वाद संख्या-824/2018, 538/2018 व 482/18 में पारित आदेश में श्री कृष्ण कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहदीनगर, समस्तीपुर के विरुद्ध यह आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिंह द्वारा 150 दिन बीत जाने के उपरान्त भी न तो प्रतिवेदन समर्पित किया गया और न ही सम्मन के बावजूद सूनवाई में भाग लिया गया। उनके द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

तत्संबंध में श्री सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त है।

विभाग द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा लोक शिकायत निवारण कार्यालय को प्रतिवेदन नहीं भेजने एवं सुनवाई से अनुपस्थित रहने का दोषी पाया गया। इनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरती गयी। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

सम्यक विचारोपरान्त श्री कृष्ण कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहदीनगर, समस्तीपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, तैया, सारण के विरुद्ध उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए 'चेतावनी' दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश दिया जाता है कि उक्त दंड की प्रविष्टि श्री सिंह की चारित्रि/सेवा पुस्त में की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बालामुरूगन डी०, सचिव।

6 जनवरी 2022

सं० ग्रा०वि०-14 (को०)सुपौल-04/2019-697301--श्रीमती मणिमाला कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मरौना, सुपौल के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-916-2/स्था० दिनांक-13.11.2020 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 388255 दिनांक 15.02.2021 द्वारा 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त दंड के विरुद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक 18.03.2021 से पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्रीमती कुमारी के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरान्त श्रीमती कुमारी के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुये इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बालामुरूगन डी०, सचिव।

31 दिसम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (सा०) सा०-01/2021-689574—सुश्री अर्चना, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज, सारण के विरुद्ध दिनांक-19.12.2020 को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष सुनवाई में अनुपस्थित रहने के आरोप पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-102 दिनांक-22.12.2020 द्वारा आरोप प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर सुश्री अर्चना से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। सुश्री अर्चना के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक- 20.12.2020 तक अवकाश में थी। अवकाश में रहने के कारण सुनवाई की तिथि यथा-दिनांक-19.12.2020 को अनुपस्थित थी। परंतु परिवाद से संबंधित प्रतिवेदन ससमय अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को समर्पित कर दिया गया था।

सुश्री अर्चना के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि इनके द्वारा स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत सुश्री अर्चना, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज, सारण को उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए सरकारी कार्यों व दायित्वों के प्रति 'अविष्य में सचेष्ट रहने' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि सुश्री अर्चना की चारित्र्य पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

6 जनवरी 2022

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) भोजपुर-01/2021-695522--श्री तेज बहादुर सुमन, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी, भोजपुर के योजनाओं में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बरतने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने, उन्हें संरक्षण प्रदान करने एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-315 दिनांक-21.05.2021 द्वारा आरोप प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सुमन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री सुमन के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कर्मियों एवं जन प्रतिनिधियों को अवश्य चिन्हित किया गया किन्तु इस संबंध में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में मेरे द्वारा निर्णय लेने में देर अवश्य हुई है। किन्तु इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय, भोजपुर एवं उप विकास आयुक्त, भोजपुर द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में गड़हनी प्रखंड अंतर्गत ईचरी पंचायत के हृदयाबाद ग्राम में चौदहवीं एवं पंचत वित्त आयोग मद के चार योजनाओं में जांच टीम द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में उजागर हुई अनियमितता के अलोक में मेरे द्वारा दिनांक-14.07.2021 को दोषी कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आयर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। इसकी सूचना जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त, भोजपुर को भी मेरे द्वारा पत्र के माध्यम से दी जा चुकी है, जिसके आलोक में इस संबंध में परिवादी श्री सुनिल कुमार सिंह, पिता-श्री बिनोद सिंह, ग्राम- हृदयाबाद द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में दायर वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी।

श्री सुमन के विरुद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री सुमन के द्वारा ग्राम*पोस्ट-हृदयाबाद, पंचायत-ईचरी, प्रखंड-गड़हनी में चौदहवां एवं पंचत वित्त आयोग मद की योजनाओं में भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के उपयोग किया जाने के लिए उत्तरदायी कर्मियों जन प्रतिनिधियों को चिन्हित नहीं किया गया है एवं दोषियों को परोक्ष रूप में लाभ पहुंचाने एवं संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया गया है।

साथ ही विदित हो कि श्री सुमन के विरुद्ध पूर्व में भी जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-315 दिनांक-21.05.2021 द्वारा प्राप्त आरोप से संबंधित अन्य मामले में विभागीय अधिसूचना संख्या-518056 दिनांक-09.08.2021 के द्वारा चेतावनी का दंड दिया गया है। उक्त अधिरोपित चेतावनी के बावजूद इनके क्रियाकलाप एवं कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री तेज बहादुर सुमन, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी, भोजपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौगाई, बक्सर को लापरवाही व पदीय

दायित्वों के निर्वहन में चूक के लिये असंचयात्मक प्रभाव से 'दो वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री तेज बहादुर सुमन की चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।
उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

13 अगस्त 2021

सं० 1/श्रम वि०स्था०(1)10-09/2021 श्र०सं०-78—**श्री सुधांशु कुमार**, सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, बेगूसराय-01, 02 एवं श्रम अधीक्षक, खगड़िया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

7 दिसम्बर 2021

सं० 1/नियो० निजी-06/2021 श्र०सं०-107—**श्री नितेश कुमार पाठक**, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर चयन के उपरान्त योगदान देने हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

13 दिसम्बर 2021

सं० 1/श्रम न्या०स्था०-03/2018 श्र०सं०-109—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 12694, दिनांक 27.10.2021 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 50474-493, दिनांक 02.11.2021 के आलोक में श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, सब जज-सह- ए०सी०जे०एम०, शिवहर को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, डालमियानगर (रोहतास) में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/श्रम न्या०स्था०-03/2018 श्र०सं०-110—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 12694, दिनांक 27.10.2021 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 50474-493, दिनांक 02.11.2021 के आलोक में श्री ललन जी, सब जज-सह-ए०सी०जे०एम०, बिक्रमगंज (रोहतास) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

15 दिसम्बर 2021

सं० 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-20/2020 श्र०सं०-111—**श्रीमती स्नेहा सृजन**, श्रम अधीक्षक, गया- 03 (अतिरिक्त प्रभार गया- 01 एवं 02) को दिनांक 03.01.2022 से 08.01.2022 तक निजी खर्च पर मालदीव (विदेश) यात्रा की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्रीमती सृजन के उपार्जित अवकाश स्वीकृति के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश कुमार शाही, अवर सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

7 जनवरी 2022

सं० प्र०-०१-(रा०)-नि०-०३/२०२१-११७/एम०—बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 63/लो०से०आ०/गो०, दिनांक 30.11.2021 के द्वारा विज्ञापन संख्या-०५/२०२० के अन्तर्गत बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के मूल कोटि के खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे-मैट्रिक्स लेवल-9 (₹53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) परीक्ष्यमान खनिज विकास पदाधिकारी के रूप में पूर्णतः औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-6 में अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	संयुक्त मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कुमार गौरव	रोहतास	1	सामान्य	खनिज विकास पदाधिकारी, पटना
2.	श्री प्रत्यय अमन	गया	3	सामान्य	खनिज विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर
3.	श्री नवेन्दु सिंह	सिवान	4	सामान्य	खनिज विकास पदाधिकारी, अरवल
4.	श्री कार्तिक कुमार	औरंगाबाद	5	सामान्य	खनिज विकास पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ) अतिरिक्त प्रभार खनिज विकास पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)
5.	सुश्री रागिनी कुमारी	अरवल	16	सामान्य महिला (पिछड़ा वर्ग)	खनिज विकास पदाधिकारी, वैशाली
6.	सुश्री बीना कुमारी	बाँका	20	सामान्य महिला (अनुसूचित जाति)	खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज
7.	श्री राज कुमार मिश्रा	गोपालगंज	17	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	खनिज विकास पदाधिकारी, नालंदा
8.	सुश्री आकांक्षा प्रियदर्शी	पटना	36	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	खनिज विकास पदाधिकारी, कटिहार
9.	श्री हरेश कुमार	पटना	25	अनुसूचित जाति	खनिज विकास पदाधिकारी, गोपालगंज
10.	श्री केशव कुमार पासवान	बेगूसराय	28	अनुसूचित जाति	खनिज विकास पदाधिकारी, सीवान
11.	सुश्री सुमन कुमारी	पटना	35	अनुसूचित जाति	खनिज विकास पदाधिकारी, नवादा
12.	श्री सचिन प्रकाश	समस्तीपुर	27	अनुसूचित जन जाति	खनिज विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी
13.	श्री कुमार रंजन	औरंगाबाद	9	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	खनिज विकास पदाधिकारी, बाँका
14.	मो० इमरान अंसारी	अरवल	10	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	खनिज विकास पदाधिकारी, मधेपुरा
15.	श्री रणधीर कुमार	सीतामढ़ी	23	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय
16.	सुश्री प्रिया दीपिका	मुजफ्फरपुर	37	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	खनिज विकास पदाधिकारी, जहानाबाद
17.	श्री संतोष कुमार	बाँका	6	पिछड़ा वर्ग	खनिज विकास पदाधिकारी, सारण
18.	श्री बलवन्त कुमार	औरंगाबाद	8	पिछड़ा वर्ग	खनिज विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)

2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या—1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाई जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

5. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या—1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने—जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध अन्य विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

8. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात तथा वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के समय वांछित प्रमाण पत्र/कागजात तथा वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

9. सभी अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन छः माह के अन्दर प्राप्त होना आवश्यक है। छः माह में चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन अप्राप्त रहने की स्थिति में सत्यापन प्राप्त होने तक वेतन अवरुद्ध रहेगा।

10. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों के परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगा।

11. उक्त सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
चित्रगुप्त कुमार, उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 40—571+50—डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 28—मैं सचिन सुमन, पिता-अनिल कुमार सिंह, ग्राम-बानुछापर वार्ड नं०-2 बैंकर्स कॉलोनी, थाना-बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चम्पारण, का निवासी हूँ। पूर्व में मेरा नाम सचिन सुमन था। शपथ पत्र संख्या-7842 दिनांक 13.03.2021 के अनुसार अब मैं सचिन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा। जो कि सही एवं दुरुस्त है।

सचिन सुमन।

No. 28—I, (Sachin Suman) S/O-Anil Kumar Singh, residing at: Village-Banuchhpar, Ward No.-2, Banker's Colony, P.S.-Bettiah Mufassil (Banuchhpar op.), Dist-West Champaran, Bihar-845438, would like to solemnly swear that Sachin Suman is my informal name and I want to be formally known and called as "Sachin Singh" with effect to affidavit number 7842/dated 13.03.2021.

No. 29—I, **KUMAR** Rishi Kishore S/o Suraj Prasad Gupta R/o H. No.- 95/80, Gaya Line Gumti, Mithapur, GPO, Patna-1 vide Affidavit. No. 221 dated 27.11.2021 shall be known as Rishi Kishore Gupta.

KUMAR Rishi Kishore.

सं० 43—मैं, निधि कुमारी, पत्नी संजय कुमार कनोडिया, निवास-फ्लैट नं०-ए204, नया टोला, एम्बिसन त्रिवेणी अपार्टमेंट, फुलवारी, पटना-800003 (बिहार), शपथ पत्र सं० 5731, तारीख 14.09.2021 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि अब मैं निधि कनोडिया के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

निधि कुमारी।

सं० 51—मैं रिशु रानी, पुत्री बीर सिंह, पति श्री रंजन कुमार, निवासी शांतिलोक अपार्टमेंट, शेखपुरा, पटना, विवाह के बाद मेरा नाम रिशु रंजन हो गया है। शपथ पत्र सं. 4394 दिनांक 15.07.2013 है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

रिशु रानी।

No. 51—I RISHU Rani, D/o Bir Singh & W/o Shri Ranjan Kumar, R/o Shantilok Appt. Sheikhpura, Patna after marriage my name is Rishu Ranjan vide affidavit no. 4394 dated 15.07.2013 for all purposes.

RISHU Rani.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 40—571+10—डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>